पंजीकृत डाक द्वारा

IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्ध, वृन्दावन योजना
आफिस काम्प्लेक्स, प्रथम तल, सेक्टर–9,
वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड़, लखनऊ–226025

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

मानक: पथप्रदर्शक: Bureau of Indian Standards SQMS

पत्र सं0–　　　　　/स0प्र0/ वृन्दाव योजना / प्रदेशन पत्र/　　　　　　दिनांक–
सेवा में,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　............/.......

SRI/SMT/KM : ....
S/O/D/O/W/O : ....
ADDRESS : ....
DISTT : ....
PIN CODE : ....

in'ku&i=

विषयः– परिषद की देवानन्दपुर तहसील सदर रायबरेली में ‘‘प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सबके लिये आवास भागीदारी में किफायती (ए0एच0पी0) घटक के अन्तर्गत फ्लैट हेतु पात्रता चयन के उपरान्त आवंटन के संबन्ध में।

महोदय/महोदया,

आपको हर्ष के साथ सूचित करना है कि परिषद की **देवानन्दपुर तहसील सदर रायबरेली में ‘‘प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सबके लिये आवास भागीदारी में किफायती (ए0एच0पी0) घटक** के अन्तर्गत (जी+3) प्रकार के चार मंजिले दुर्बल आय वर्ग के फ्लैटों हेतु दिनांक–......................... **से दिनांक .... तक** सम्पन्न पात्रता चयन में आपके पंजीकरण/फार्म संख्या–.................... के विरूद्व फ्लैट हेतु चयनित किया गया है, जिसके क्रम में दिनांक–......................को सम्पन्न नम्बरिंग ड्रा के आधार पर फ्लैट/भवन संख्या–....................आवंटित किया गया है।

आपको पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित विक्रय मूल्य का भुगतान निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन किया जाना है :–

(1)	फ्लैट/भवन का विक्रय मूल्य	रू0 --------	लाख
(2)	भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप मे दी जाने वाली धनराशि	रू0 --------	लाख
(3)	शेष धनराशि जिसका भुगतान आवंटी द्वारा किया जाना है।	रू0 --------	लाख
(4)	फ्लैट का सुपर एरिया .... **वर्ग मी0** निर्मित क्षेत्रफल .... **वर्ग मी0**		
(5)	जमा पंजीकरण धनराशि	रू0 ---------	
(6)	पंजीकरण धनराशि समायोजन के उपरान्त शेष धनराशि रू0 .... पर .... ब्याज सहित ...... मासिक किश्तो की धनराशि की प्रथम मासिक किस्त की धनराशि जो दिनांक ....से देय होगी।	रू0 -------------	
(7)	प्रथम मासिक किस्त की सब्याज धनराशि जो दिनांक .... से .... मासिक किश्तो में भुगतान की जाने वाली धनराशि पर .... जी.एस.टी. शुल्क प्रतिमाह देय होगी।	रू0 -------------	

नोटः–(1) यह प्रदेशन पत्र आवंटी द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्रों के आधार पर निदेशक, सूडा द्वारा किये गये सत्यापन के उपरान्त निर्गत किया जा रहा है, किसी भी प्रकार की सूचना मिथ्या पाये जाने पर आपका आवंटन नियमानुसार निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा पंजीकरण धनराशि जब्त कर ली जायेगी, साथ ही सुसंगत विधिक धाराओं के अनुसार आपके विरूद्ध कार्यवाही भी की जायेगी।

भवदीय,

सम्पत्ति प्रबन्धक
कृते आवास आयुक्त

कृ0प0उ0

नियम एवं शर्ते

(1) पंजीकरण/आबंटन की वैधता बनाये रखने हेतु प्रदेशन/मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से देय निर्धारित मासिक किश्तों का भुगतान करना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में पंजीकरण/आवंटन निरस्त माना जायेगा।

(2) नियमित भुगतान के उपरान्त किराया किश्त क्रय अनुबन्ध रू0 .... के स्टाम्प पर निष्पादित कराया जायेगा, आवास बन्धु, उ0प्र0 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक बिन्दु संख्या–8.10 के अनुसार भवन की सम्पूर्ण मूल्य का ...... प्रतिशत धनराशि रू0 .... भवन के नियमित अनुरक्षण हेतु तथा वृहद एवं आकस्मिक अनुरक्षण कार्य हेतु भवन के मूल्य का ..... प्रतिशत धनराशि रू0 .... कार्पस फण्ड के मद में जमा करने के उपरान्त भवन का भौतिक कब्जा प्रदान करने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(2–1) कोई लाभार्थी समस्त किश्तों का भुगतान प्रदेशन पत्र के निर्गमन के तीन माह मे कर दिया जाता है तब भी भवन का वास्तविक कब्जा.............माह में दिया जाना प्रस्तावित होगा।

(2–2) किश्तों पर भुगतान करने वाले लाभार्थी किश्तों का नियमानुसार भुगतान अनवरत रखेंगें।

(2–3) सम्पूर्ण भुगतान के उपरान्त ही रू0 .... के स्टाम्प पर नियमानुसार पंजीयन होगा।

(3) आवेदक के पक्ष में फ्लैट/भवन आवंटन की शेष धनराशि रू0 .... पर ....प्रतिशत ब्याज एवं जी0एस0टी0 सहित .... वर्ष (...... मासिक किश्तों) का निर्धारण किया जायेगा। किश्तों की धनराशि ससमय जमा न करने पर आवंटी को साधारण ब्याज के साथ–साथ ...... प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त ब्याज के रूप में देय होगी।

(4) उ0प्र0 भू–सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम की शर्तो के अनुसार अनुबन्ध निष्पादन किया जायेगा। चयन में सफल आवेदकों को आवंटित सम्पत्ति का आवंटन/मांग पत्र निर्गम से पूर्व भू–सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम–2016 के अधीन विहित प्रारूप पर विक्रय करार निष्पादित कराना होगा।

(5) आवंटी व उसके परिवार के नाम भारत में कंही भी कोई पक्का मकान नही है, इसका प्रमाण पत्र विलेख निष्पादन के समय आवंटी को स्वयं उपस्थित होकर देना होगा।

(6) आवंटी आवंटित फ्लैट/भवन को किसी भी पट्टा हस्तानान्तरण या किराये पर नही देगा तथा विक्रीत नही किया जायेगा।

(7) आवंटी द्वारा आवंटित भवन का कब्जा पत्र प्राप्त करने के एक माह के अन्दर भवन का भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया जायेगा अन्यथा नियामानुसार रू0 .... प्रतिदिन की दर से रख रखाव शुल्क देय होगा।

(8) प्रदेशन/मांग पत्र में अंकित मासिक किश्तों एवं कापर्स फण्ड/अनुरक्षण मद/जी0एस0टी की धनराशि का भुगतान परिषद द्वारा निर्धारित बैक, की किसी भी शाखा में जमा कर रसीद प्रस्तुत करना होगा।

(9) अन्य नियम एवं शर्ते पंजीकरण विवरण पुस्तिका के अनुसार होगी।

(10) समय–समय पर नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग/निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क, गृह कर, जल कर आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।

(11) शासन द्वारा सम्पत्ति के मूल्य में यदि कोई वृद्धि की जाती है, तो तदानुसार बढे हुए मूल्य का भुगतान आवंटी को करना होगा।

(12) किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त (म0) का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा एवं किसी भी प्रकार वाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा।

शुभकामनाओं सहित।

website:www.upavp.in
office E-mail-avadhviharlko@upavp.com